160

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1530—एक/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 10—05—2015 के द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल, स्यावनी, तहसील लिधौरा, जिला -टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 101/अ—12/2014—15

.....

शांतिबाई पुत्री देवसिंह यादव
निवासी— वीरपुरा, तहसील लिधौरा
जिला -टीकमगढ़,(म0प्र0) ..... आवेदिका

विरूद्ध

राजू पुत्र पहलवान सिंह यादव
द्वारा विक्रमसिंह,
निवासी— वीरपुरा, तहसील लिधौरा
जिला -टीकमगढ़,(म0प्र0)

..... अनावेदक

.....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदिका
श्री ए0के0 अग्रववाल अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 21. 12. 2016 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल, स्यावनी, तहसील लिधौरा, जिला—टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10—05—2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा ग्राम वीरपुरा स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 54/1, रकबा 0.033 है0 भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल, स्यावनी के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही सम्पादित कर दिनांक 10.05.2015 को सीमांकन

आदेश पारित किया गया । इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदिका के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक, मण्डल स्यावनी का आदेश अवैध एवं अनुचित है। विचारण न्यायलय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितयों पर विधिवत विचार किये बिना ही तथा आवेदिका को सुनवाई का अवसर दिये बिना जो आदेश पारित किया है वह अपास्त किये जाने योग्य है। सीमांकन की कार्यवाही में मेढ़िया कृषक को सूचना पत्र दिया जाना अत्याधिक आवश्यक है, चूँकि इस प्रकरण में किसी भी मेढ़िया कृषक को ना तो सूचना पत्र दिया गया और न ही उनके समक्ष सीमांकन की कार्यवाही की गई। पंचनामें पर जो हस्ताक्षर किये गये है, वह अनावेदक के परिवार के व्यक्ति है। इस प्रकार पंचनामें में भी मेढ़िया कृषकों अथवा आवेदिका के हस्ताक्षर नहीं है।, इससे यह पूर्ण रूप से प्रमाणित होता है कि सीमांकन कार्यवाही विधिवत रूप से नहीं की गई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पंचनामें में यह उल्लेख है कि 11 फूट लम्बाई की दीवार बनाकर शांतिदेवी द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया गया है और शांतीदेवी ने पंचनामें में हस्ताक्षर करने से इंकार किया है, जबकि वास्तविकता यह है कि सीमांकन से पूर्व किसी भी प्रकार का सूचना पत्र आवेदिका को दिया ही नहीं गया है। ऐसी स्थिति में उसके सीमांकन के समय उपस्थित होने का प्रश्न ही नहीं है। जहां तक हस्ताक्षर इंकार करने का प्रश्न है तो यह तथ्य भी अभिलेख एवं साक्ष्य के विपरीत होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तहसीलदार पलेरा, वृत्त स्यावनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 43/ए–27/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2009 को विवादित भूमियों का विधिवत बंटवरा किया गया था और उक्त बटवारे के अनुसार उभयपक्ष काबिज हुये थे एवं दोनों के द्वारा मकान निर्माण किये गये है, जिनमें वह निवास कर रहे है, ऐसी स्थिति में अधिक समय बाद यह कहा जाना कि आवेदिका ने अनावेदक की भूमि अनाधिकृत कब्जा किया है, साक्ष्य एवं स्थल की वास्तविक स्थिति विपरीत होने से स्वीकार योग्य नहीं है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में आवेदिका के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अध्ययन किया गया । अनावेदक ने ग्राम वीरपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 54/1 रकबा 0.033 है0 भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 101/अ–12/2014–15 पर पंजीबद्ध किया तथा दिनांक 10.05.2015 को अनावेदक के हित में सीमांकन का आदेश पारित किया है। जिसके विरूद्ध आवेदिका ने इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है।

6/ इस प्रकरण में जैसा कि आवेदिका अभिभाषक ने निगरानी मेमो एवं अपने तर्कों में कहा है कि उसे सूचना पत्र नहीं दिया गया है और न ही सीमांकन के पूर्व मेढिया कृषकों को सूचना–पत्र जारी किया गया। यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से विदित होता है कि पटवारी हल्का, वीरपुरा के साथ दिनांक 02.05.2015 को स्थल पर गये । अनावेदक के नजदीकी कृषकों को विधिवत सूचना पत्र जारी किया, तथा मौके पर जरीब द्वारा विधिवत नापकर सीमांकन की कार्यवाही सम्पादित की गई। इसके बाद ही मौका का पंचनामा व फील्डबुक तैयार किया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदिका का यह कथन त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

7/ अतएव ऊपर वर्णित तथ्यों के आधार पर मेरे मतानुसार न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल, स्यावनी, तहसील लिधौरा, जिला–टीकमगढ़ ने अपने प्रकरण क्रमांक 101/अ–12/2014–15 में जो सीमांकन का आदेश दिनांक 10.05.2015 को अनावेदक के हित में पारित किया है, वह उचित है। मैं राजस्व निरीक्षक मण्डल, स्यावनी के इस निर्णय से सहमत हूँ। अतः राजस्व निरीक्षक मण्डल, स्यावनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2015 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। परिणाम स्वरूप निगरानी खारिज की जाती है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर